प्रेस नोट - दिनांक 17.12.2024

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव।

भाभी की हत्या करने वाला देवर पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 16.12.2024 को समय करीब 21.15 बजे थाना आसीवन पुलिस को सूचना मिली कि रोहित पाल पुत्र साहब लाल निवासी विजयखेड़ा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष द्वारा अपनी भाभी मीना पत्नी हरिश्चंद्र उम्र करीब 40 वर्ष की गाँव के पास खेत में हत्या कर दी एवं मौके से भाग गया। थाना आसीवन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पँहुच कर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मृतका के पति से तहरीर प्राप्त कर मु0अ0सं0 368/24 धारा 103(1)/238(ए) बीएनएस बनाम रोहित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक आसीवन श्री अजय कुमार सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा कोड़वा मोड़ के पास अभियुक्त रोहित उपरोक्त को घेरा बन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया तब बचाव मे उ0नि0 अरविन्द पाण्डेय द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त रोहित उपरोक्त के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके से हिरासत मे लिया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व बरामद असलहे को खोलकर देखा गया तो एक खोखा राउण्ड 315 बोर नाल के अन्दर फंसा हुआ बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 109 BNS व 3/25 A act का दण्डनीय अपराध होने के कारण अभियोग मे बढ़ोत्तरी की जाती है। अभियुक्त को नियमानुसार अन्तर्गत धारा 103(1)/238(a)/109 BNS व 3/25 A.act मे आज दिनांक 17.12.2024 गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद कुल्हाड़ी बिना बेंत व अधजला मोबाइल मृतका मीना का बरामद किया गया।

अभियुक्त का विवरण- रोहित पाल पुत्र साहब लाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम विजयखेड़ा थाना आसीवन जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद कुल्हाडी बिना बेंत (आलाकत्ल)
2. एक अदद अधजला मोबाइल (मृतिका)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा
01	210/2024	376/354/452/506 भादवि
02	368/2024	103(1)/238(a)/109 BNS व 3/25 A.act

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 अजय कुमार सिंह
2. निरीक्षक रामप्रकाश
3. उ0नि0 राजीव कुमार
4. उ0नि0 अरविन्द पाण्डेय
5. हे0का0 देवीप्रसाद
6. कां0 रवीन्द्र यादव
7. कां0 रितेश पटेल
8. कां0 रमेश यादव
9. कां0 गौरव कुमार
10. म0का0 मीनू

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 17.12.2024

थाना असोहा, जनपद उन्नाव ।

आत्महत्या के दुष्प्रेरण का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.12.2024 को थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना असोहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 189/2024 धारा 108 B.N.S में वांछित अभियुक्त रजनीश पुत्र स्व0 राम सुमिरन उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी कासीमपुर मजरा मीरखनगर थाना निगोहा जनपद लखनऊ हाल पता ग्राम सेरसवां असहन जगतपुर थाना शिवगढ जनपद रायबरेली को चन्दनखेडा गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रजनीश पुत्र स्व0 राम सुमिरन उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी कासीमपुर मजरा मीरखनगर थाना निगोहा जनपद लखनऊ हाल पता ग्राम सेरसवां असहन जगतपुर थाना शिवगढ जनपद रायबरेली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल
2. उ0नि0 श्री पंकज कुमार सोनकर
3. का0 अनुज पाल

प्रेस नोट - दिनांक 17.12.2024

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव ।

माल निस्तारण अभियान के तहत 76 मालों का किया गया निस्तारण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में थानों पर अनावश्यक रूप से लंबित मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा नियमानुसार आज दिनांक 17.12.2024 को थाना बारासगवर पर वर्ष 2020-2021 व 2022 तक की लम्बित 76 पीएम पोटली के माल मालों को नष्ट कराया गया ।

प्रेस नोट - दिनांक 17.12.2024

थाना असोहा, जनपद उन्नाव ।

एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.12.2024 को थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु0वा0सं0 39/2017 धारा 125(3) द.प्र.स. सम्बन्धित अभियुक्त रज्जन पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गुरूबक्शखेडा मजरा शाहबाद ग्रन्ट थाना असोहा जनपद उन्नाव को लालाखेडा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रज्जन पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गुरूबक्श खेडा मजरा शाहबादग्रन्ट थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र लगभग 42 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल
2. उ0नि0 श्री नन्हेलाल पाल
3. हे0का0 ओमंकार सिंह
4. हे0का0 आशीष यादव
5. का0 माधव पाँचाल